

05.11.2024:- पत्रावली पेशी में ली गई। प्रार्थी अधिवक्ता अनुपस्थित। पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन पाया प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना-पत्र में कोई आवश्यक कार्यवाही नहीं कि जा रही है प्रार्थी अधिवक्ता को बार बार नोट करवाया गया। उपस्थित नहीं आए। प्रार्थी व प्रार्थी अधिवक्ता को बार-बार आवाज लगाई गई। आवाज लगाने के उपरान्त भी असालतन/वकालतन उपस्थित नहीं आये। प्रार्थी व प्रार्थी अधिवक्ता के उपस्थित नहीं आने के कारण प्रार्थना पत्र प्रार्थी अदम पैरवी/अदम हाजरी में खारिज किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

राजि  
सहायक कलक्टर  
एवं उपखण्डाधिकारी  
बनुमानगढ़